भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1332

दिनांक 09.02.2021/20 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 2014 की लम्बित परियोजनाएं

†1332. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना राज्य के लिए आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को अब तक कार्यान्वित नहीं किए जाने के परियोजना-वार क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 के अधिकतर प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा चुका है और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के शेष प्रावधान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और शिक्षण संस्थानों से संबंधित कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन की अवधि लंबी है, जिसके लिए अधिनियम में दस वर्षों की समयावधि निर्धारित की गई है।

*****